भालू के हमले एवं टकराव से कैसे बचें?

एक चित्रित पुस्तिका

The Corbett Foundation

योगदान:

डी फ्राईज बाजपेयी फाउण्डेशन

मूल विचार एवं परिकल्पना
अनिरुद्ध घमोरीकर, केदार गोरे, हरेंद्र सिंह बरगली, शरद कुमार, नवीन पाण्डेय

हिन्दी अनुवाद
डॉ नवीन पाण्डेय

कला दिग्दर्शक
कृपा ठाकूर-पाटील

दृश्यचित्र
शुभदीप मुखर्जी

पृष्ठ संरचना
कुशल सुतार

प्रकाशक
दि कॉर्बेट फाउण्डेशन
८१ - ८८, अटलांटा, ८ वी मंजिल
नरिमन प्वाइंट, मुम्बई ४०००२१
फो. - +९१२२६१४६४००
इमेल: info@corbettfoundation.org
वेब: www.corbettfoundation.org

प्रकाशनाधिकार
गैर - वाणिज्यिक उद्देश्य हेतू आप इस पुस्तिका को वितरण कर सकते हैं, प्रकाशक को श्रेय अवश्य दें। प्रकाशक की अनुमति के बिना इस पुस्तिका में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या संपादन अवैध है।
©दि कॉर्बेट फाउण्डेशन, २०१८

समर्पित द्वारा:-
डी फ्राईज बाजपेयी फाउण्डेशन (यू. एस. ए.) (www.conservingcentralindia.org)
मध्य प्रदेश वन विभाग (www.mpforest.gov.in)

उध्दरण -
दि कॉर्बेट फाउण्डेशन (२०१८): *भालू के हमले एवं टकराव से कैसे बचें (एक चित्रित पुस्तिका)*,
दि कॉर्बेट फाउण्डेशन, मुंबई, भारत.

भालू के हमले एवं टकराव से कैसे बचें?

एक चित्रित पुस्तिका

कान्हा - पेंच गलियारे में मानव-भालू संघर्ष की क्रिया, मध्य प्रदेश, भारत

परियोजना के तहत प्रकाशित

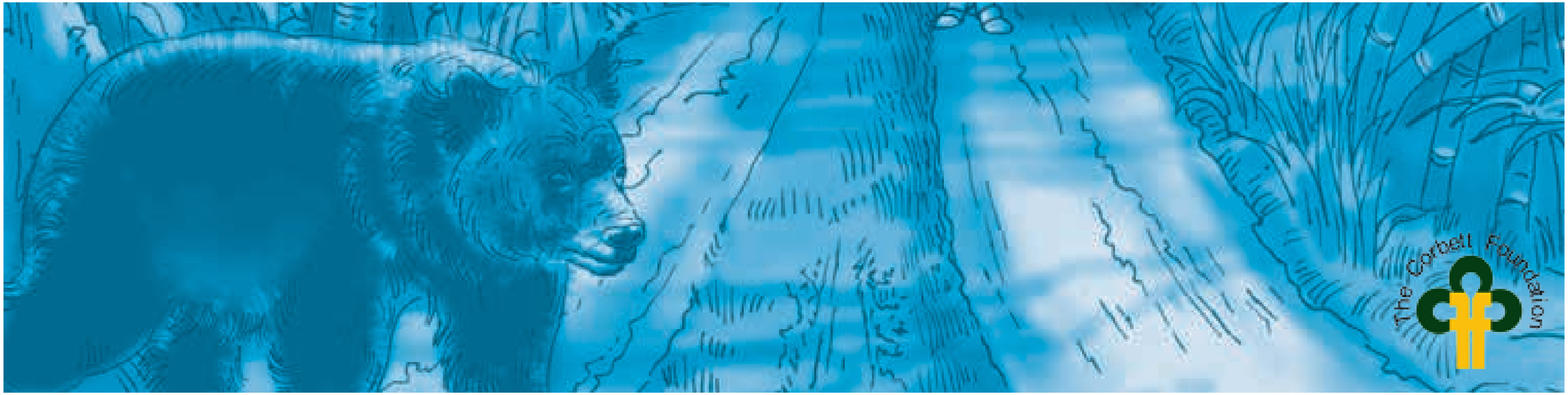

यह पुस्तिका उन सभी लोगों को समर्पित हैं जो जीविका के लिए वनों पर अश्रित हैं, जो वन्यजीवों के साथ रहते हैं एवं जो वन्यजीवों के साथ सहवर्ती होने की कोशिश करते हैं।

मध्य प्रदेश के बालाघाट, सिवनी एवं मंडला जिलों मे मानव-भालू संघर्षों के अध्ययन पर आधारित इस पुस्तिका का उपयोग सतपुडा-मैकल परिदृश्य के अन्य क्षेत्रों में हो सकता है, हालााक दूसरे क्षेत्रों की परिस्थितियाँ वहॉ के सामाजिक एवं पारिस्थितिक कारकों की वजह से अलग प्रकार की हो सकती है।

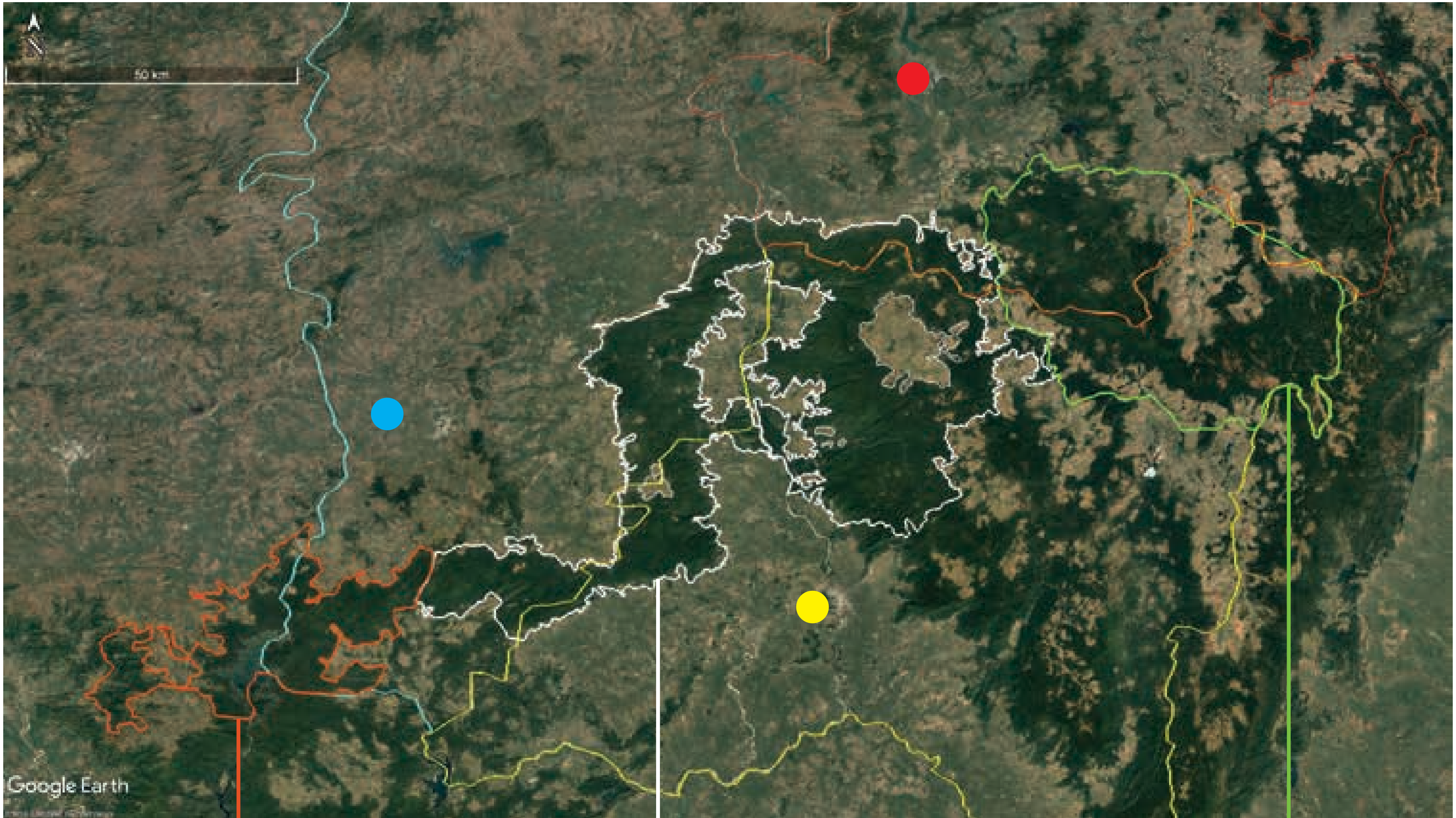

पेंच टाईगर रिजर्व

बालाघाट, सिवनी एवं मंडला के प्रादेशिक वन

कान्हा टाईगर रिजर्व

इस पुस्तिका के बारें मे

यह पुस्तिका भालूओं के सामना एवं हमले से बचने के उपाय के बारे में जागरुकता फैलाने का प्रयास है, जिसमें आसानी से समझने योग्य चित्रों का इस्तेमाल किया गया है। यह पुस्तिका निम्न तथ्यों पर केंद्रित है:

- भालू एवं उनका वास स्थल
- भालू से संघर्ष के मुख्य कारण
- जंगल मे भालू से मुठभेड़ को रोकने के उपाय
- जंगल मे भालूसे नजदीकी मुठभेड़ होने पर बचाव के उपाय
- नुकसान भरपाई सम्बंधी सरकारी योजनाएॅं एवं मुठभेड़ कम करने सम्बंधी योजनाएॅं

अमिस्वीकृती

हम उन बहादुर पुरुषो और महिलाओ के आभारी है, जिन्होने भालूओं से मुठभेड एवं सामना किया एवं अपने अनुभव हमारे साथ साझा किये ताकि हम इस संघर्ष को ठीक से समझ सके। आर्थिक मदद के लिए हम डी फ्राईज बाजपेयी फाउण्डेशन को धन्यवाद देते है एवं साथ ही परियोजन में सहयोग हेतू हम मध्यप्रदेश वन विभाग का विशेष अभिनंदन करते है। हम श्री. जितेंद्र अग्रवाल, पी. सी. सी. एफ. (वाइल्ड लाईफ), डॉ. धीरेन्द्र भार्गव, सि. सी. एफ. बालाघाट, श्री. संजय शुक्ला, तत्कालीन सी. सी. एफ., सिवनी एवं वर्तमान फिल्ड डायरेक्टर, कान्हा टाईगर रिजर्व, एवं श्री शुभरंजन सेन फिल्ड डायरेक्टर, पेंच टाईगर रिजर्व का विशेष आभार प्रकट करते हैं जिन्होने इस पुस्तिका हेतू हमें सदैव प्रोत्साहन एवं समर्थन दिया।

स्लॉथ भालू

भारत में भालू की ४ प्रजातिऑ है जिनमे से स्लॉथ भालू एक प्रजाति है जिसे हम रीछ भी कहते है।

- **लंबाई** - ५ से ६ फीट
- **वजन** - ९० से १४० किलोग्राम
- **बनावट** - ये काले या गहरे भूरे रंग के हैं एवं शरीर पर मोटा झबरेदार आवरण होता हैं, खासकर कानों एवं गर्दन के पास। इनकी छाती पर हलकी सफेद रंग की 'V' आकृती देखते ही बनती है एवं इनका थूथना हलके रंग का एवं लम्बा होता हैं। इनके पैर छोटे एवं मजबूत हैं। मिट्टी खोदने के लिए इनके पैरों पर लम्बे एवं वक्र पंजे हैं। यह अपनी नाक को स्वेच्छा से बंद कर सकते है। ये अपने होठ को आगे फैला सकते हैं एवं इनके दाँत चींटियों एवं दीमक को खाने के लिए उपयुक्त हैं।
- **भोजन** - ये सर्वभक्षी प्राणी है एवं कई प्रकार के फूल एवं फल, जैसे, महुआ, चार, अमलतास, बेर, जामुन, बेल, कसई, कुसुम, कुंभी, तेंदु एवं उमर आदि खाते हैं। जमीन के अंदर मिलने वाले कंद तथा कई प्रकार के कीट, जैसे, चींटी, दीमक एवं मधु का छत्ता भी खाते है।

भालू की यह प्रजाति, वास स्थल के विनाश एवं बेरहम शिकार की वजह से आज खतरे में है। वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम १९७२ के तहत भालू, बाघ एवं तेंदूए की, तरह कानूनी रुप से सुरक्षीत है। भालूओं का शिकार या पकडना दोनो ही गैरकानूनी है एवं दंडनीय अपराध है।

यदि आपको भालू को नुकसान पहुँचाने वाली किसी भी अवैध गतिविधी की जानकारी मिले तो आप अपने क्षेत्र के नजदीकी वन विभाग कार्यालय को अवश्य सुचित करें।

अब, भारत के जंगलो में लगभग २०००० स्लॉथ भालू बचे हैं। भारत के मध्य भाग में फैले वन भालू की प्रजाती के बचाव के लिए आशा की किरण के समान है। फलहारी एवं एक शांत पशू होने के बावजूद भालू को प्राय: गलत समझा जाता है।

ऐसा कहा जाता है कि हमला करते समय भालू अपने शिकार को अंधा करने के लिए लार (फेन) थूकता हैं, जो सत्य नही हैं। इसके पंजे एवं हड्डियॉं किसी भी प्रकार का सौभाग्य प्रदान नहीं करते। यह एक अंधविश्वास है तथा हमे इस पर विश्वास नही करना चाहिए।

स्लॉथ भालू की आदतें एवं आवास

प्राय: व्यस्क भालू अकेले रहते हैं। वे विशेषकर रात में भोजन की तलाश में जंगल में घुमते हैं एवं सुबह अपने बसेरे की ओर लौटते हैं। इसीलिए दिन में हमें भालू कम ही दिखते हैं। कई अध्यायन बताते है की मानव बस्तियों के पास रहने वाले भालू जंगल में रहने वाले भालूओं की तुलना में ज्यादा निशाचर होते हैं।

प्रजनन के समय नर एवं मादा भालू एक साथ हो जाते हैं। जब हम उन्हे जोडो में देखते है या मादा को शावकों के साथ देखते हैं। प्राय: वे एक या दो शावकों को जन्म देते हैं। जो मादा के साथ एक या दो वर्ष तक रहते हैं। व्यस्क भालू पेडो पर खरोच कर या गंध छोड़कर अपने क्षेत्र की निशानदेही करते हैं। जब शावक बडे हो जाते हैं तब वे स्वतंत्र होकर अपना क्षेत्र स्वयं बनाते हैं।

ये कई प्रकार के वासस्थलों में मिलते हैं, जैसे सदाबहार वन, पतझड वन एवं झाड़दार वन। ये चटटानी क्षेत्रो, जहां पर आराम करने एवं बच्चौं की देखभाल करने जगह होती हैं, को पसंद करते हैं। मध्य भारत जैसे वन जहां पर छिापने तथा सोने की जगह होती हैं, प्राय: भालूओं द्वारा पसंद किये जाते हैं।

ज्यादातर हमले गर्मी के मौसम में होते है? **बरसात** एवं **ठंड** के महीनों में भी भालू के हमले होते है लेकिन **गर्मी** के महीने की तुलना में कम। हमले प्राय: **जंगल** मे या जंगल के किनारे, जब लोग वन - आधारित कार्यों के लिए जंगल जाते है।

गर्मी के मौसम में विशेषकर मार्च के महीने में **महुआ** बिनने के समय एवं मई के महीने में **तेंदू** पत्ता संग्रह करने के समय भालू हमले होते है।

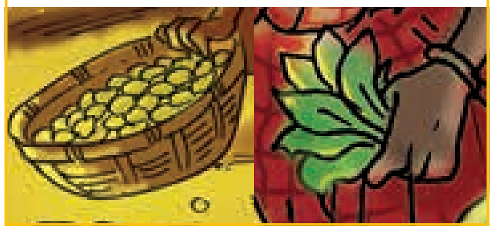

बरसात के समय, जुलाई एवं अगस्त के महीनों मे, **मशरुम** इकट्ठा करने के समय भालू के हमले होते है।

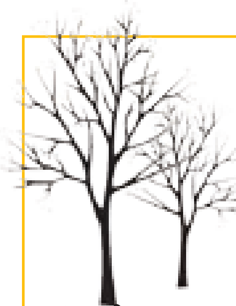

ठंड के समय, जब लोग **जलाऊ लकडी** लेने जंगल जाते है, तब भालू के हमले हो सकते है।

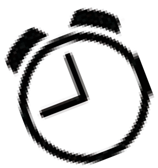

कब और कहाॅं?

सुबह में ६.०० से ८.०० बजे	दिन में ८.०० से १०.०० बजे	शाम को ४.०० से ६.०० बजे
खुले मे शौच महुआ बिनना तेंदू पत्ता इकट्ठा करना मशरुम इकट्ठा करना	महुआ बिनना तेंदू पत्ता इकट्ठा करना मुलायन पत्ता जलाने के लिए लकडी	जलाने के लिए लकडी खेती बारी के कार्य पशु को चराना

याद रखें *ज्यादातर भालू इरादतन हमला नहीं करते हैं, वो हमला करते है -*

१. जब वे अचानक शंकित होते हैं।

२. जब वो खतरा महसूस करते है

३. जब वाशावकों को बचाना चाहते हैं

ये पुस्तिका आपको जंगल में भालू से सामना या मुठभेड से बचने में मदद कर सकती है।

अकेले भालू की तुलना में उन मादाओं से हमले का खतरा ज्यादा होता है जिनके साथ शावक होते है।

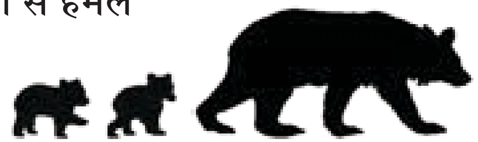

- गर्मी एवं ठंड के महीनों में **अकेले भालू** ज्यादातर हमलों के कारण होते है
- बरसात में भी **अकेले भालू** हमला करते है लेकिन **शावकों के साथ वाली मादाओं** के हमले भी होते है जब मादाए अपने शावकों को बचाना चाहती है।

भालू मारकर खाने के लिए हमला नहीं करते हैं, वे सिर्फ अपने बचाव के लिए हमला करते हैं। जैसे ही उन्हें महसूस होता है की खतरा टल गया है, वे पीछे हट जाते है। यदि समय पर इलाज मिले, **तो ज्यादातर हमले जानलेवा नहीं होते हैं।**

संख्या में सुरक्षा।

- हमारे शोध एवं अध्यायन से पता चला है कि ज्यादातर हमले तब हुए जब लोग अकेले होति है।
- हमले की संभावना कम हो जाती है, जब तीन या तीन से अधिक लोगों का समूह होता है।
- पुरुषों एवं स्त्रियों को जंगल में वन - आधारित कार्यों के लिए समूह (झुंड) में जाना चाहिए ताकी भालूओं से अचानक सामना टल सके।

याद रखें

भालू के अधिकांश हमलों को टाला जा सकता है

- *जंगल मे दूरी का कम आंकलन न करें।*
- *जंगल से गुजरते हुए हमेशा सतर्क / सावधान रहें।*
- *वन्यजीवों का सम्मान करें और उनसे सुरक्षति दूरी बनाएँ रखें।*

सामंजस्य द्वारा साथ - साथ मौंजूदगी

जिस प्रकार से हम अपने क्षेत्रों को हजारों वर्षों से अपना कहते आए है, उसी प्रकार भालू भी जंगल को अपना घर समझते हैं। कभी - कभी संघर्ष हो जाता है लेकिन हम परस्पर सामंजस्य से रहते है। भालू और मनुष्य की साथ - साथ माजूदगी लम्बे समय से है।

पड़ोंसियों की तरह, हमारी जिम्मेवारी है कि हम उन्हे जगह एवं आवास दे जिससे संघर्ष से बचाव हो। यदि हम अपनी जीवन शैली में थोडा परिवर्तन करें, तो बचने में बड़ीं मदद मिलेगी एवं आपसी तनाव कम होगा।

१. जंगल में अकेले न घूमे।

यदि आप शांति से अकेले चलेंगे तब भालू आपके आने का अनुमान नहीं लगा पाएँगे। आपको अचानक सामने देखकर वे अपनी सुरक्षा के लिए आप पर हमला कर सकते हैं।

२. यदि अकेले जंगल जाना ही पड़े, तब साथ में एक ड़ंडा एवं घंटी या सीटी जैंसी आवाज करने वाली वस्तु साथ ले लें।

जंगल में आवाज करते चलना, वन्य जानवरो को आपकी उपस्थिति बताने का सही तरीका है। डंडा को जमीन पर रगड़ना, और झाड़िओं को डंडे से हिलाना एवं घंटी या सीटी बजाना अच्छा होता है।

३. हमेशा परिवार के साथ या समूह (झुंड) बनाकर जंगल में चलें।

आवाजें निकालते हुए एवं बातचीत करते हुए चलने से भालू को आपकी उपस्थिति का पता चलता है और उसे वहां से हट जाने का भरपूर समय मिल जाता है।

४. तेंदू पत्ता तोड़ने के लिए अकेले न जाएं।

तेदू पत्ते के लिए प्राय: जंगल में काफी अन्दर जाना पड़ता है। प्राय: घनी छाँव में तेंदू अच्छा उगता है। ऐसी जगह पर भालू का सामना होने की सम्भावना अधिक होती है।

५. तेंदूपत्ता लाने के लिए हमेशा कई लोग एक साथ जाएं।

समूह (झुंड) में चलें, साथ में घंटी, सीटी या बरतन रखे जिससे आवाज कर सके। तेंदू पत्ता तोड़ते समय, समूह में से किसी को आसपास नजर रखने के लिए कहें।

६. रात में या सूरज उगने से पहले जंगल में महुआ फूल बीनने न जाएँ।

महुए के फूल भालू एवं दूसरे जंगली जानवरों को भी पसंद हैं एवं ऐसे जानवर प्रायः रात में निकलते है। अन्धकार में ऐसे जानवरों से सामना होने का खतरा ज्यादा है।

७. सुरज निकलने के बाद ही महुआ बीनने जाएँ और साथ में किसी दूसरे व्यक्ति को रखें जो आस-पास नजर रखे।

सुरज निकलने के बाद भालू जैसे जानवर महुआ के पास से वापस जा चुके होते है। इसलिए सुबह महुआ बीननें में खतरा कम है। आस-पास नजर रखने के लिए एक व्यक्ति हो, तो सुरक्षा बढ़ जाती है।

८. रात में अकेले यात्रा न करें।

यदि रात में अकेले जाना जरुरी है। तब अपने साथ एक अच्छा टार्च लाइट एवं एक डंडा जरुर लें। चलते समय आवाज जरुर करें।

९. चलते समय, यदि आप किसी भालू को रास्ता पार करते देख लें (इसके पहले कि भालू आपको देखे), तब आप रुक जाएँ एवं धीरे-धीरे पीछे हो लें।

भालू आपको देखे, इसके पहले यदि आप उसे देख ले तो शांत रहे और पीछे हटें। जानवरों को पहले रास्ता पार करने दें।

१०. चलते समय यदि भालू आपको देख ले, तो कभी भी भागें नहीं। धीरे-धीरे पीछे हटें।

धैर्य रखें, घबराने जैसी हरकत न करें, वरना
भालू खतरा महसूस कर सकता है।

११. यदि भालू आपकी ओर कुछ दूर से दौड़े, तो अपने हाथों को फैंलाते हुए उठा कर अपने आप को बड़ा दिखाएँ एवं जोर-जोर से आवाज करें। फिर, पीछे हटें।

शरीर को बड़ा दिखाने से भालू संदेह में पड़कर दूसरी तरफ जा सकता है और सम्भव है कि हमला न करे।

१२. लोगों के समूह में रहने से, अकेला भालू स्वयं को कमजोर समझता और आक्रमण करने के बजाय वापस चला जाता हैं।

कई लोगों के समूह में एक ताकत है जो जंगम में जाते समय बहुत महत्वपूर्ण है। समूह में होने से सम्भवत: भालू हमला नहीं करेगा।

१३. यदि दुर्भाग्य से, भालू आप पर हमला कर दे, तो आप एक लम्बे डंडे से भालू और अपने बीच में दूरी बनाने की कोशिश करें।

यदि आप डंडा हमेशा साथ रखें, तो आप भालू से दूर रह सकते हैं। इससे आप ठीक से खड़े रह पाएंगे। प्राय: भालू हमला का भय दिखाकर पीछे हट जाते हैं।

१४. यदि भालू हमला करे दे, तो जमीन पर लेटे हुए अपने पैंरों को मोड़ कर पेट के पास लाऐं एवं हाथों को सिर के उपर रख लें। इससे आप शरीर के अंदर के महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षित कर सकते हैं।

सर एवं पेट को ढककर लेटने से शायद भालू हमला नहीं करेगा, लेकिन ऐसा करने से आप अपने सिर एवं पेट को गम्भीर चोट से बचा सकते हैं।

१५. ध्यान रहे, जब मादा भालू अपने बच्चों के साथ रहती है, तब उसके द्वारा हमला करने की सम्भावना ज्यादा होती है।

एक मादा भालू हमेशा अपने बच्चों को सुरक्षा देना चाहती है। बरसात के मौसम में प्राय: मादा भालू बच्चों के साथ दिखाती हैं। इसलिए बरसात के मौसम में ज्यादा सावधान रहें। जंगल में अपने आस - पास के माहौल पर नजर रखें।

१६. भालू जब अचानक हमें देखकर चौंक जाते हैं, तब वे हमला कर देते हैं। भालू की सुनने एवं देखने की क्षमता कमजोर होती हैं। इसलिए उन्हें हमारी उपस्थिती का पता जब चलता हैं तब हम बिल्कुल उनके नजदीक होते हैं।

आवाज निकाल कर हम भालू को पहले से अपनी उपस्थिति के बारे में बता सकते हैं। ताकि उसे हट जाने का भरपूर समय मिले।

१७. यदि अकेले यात्रा करनी पड़े, तो किसी परिचित को अपने निकलने एवं पहुंचने का समय अवश्य बता कर रखें। हमेशा महत्वपूर्ण फोन नम्बर साथ रखें।

समय से गंतव्य पर न पहुंचने पर लोग आपको खोजने के लिए निकलेंगे तथा दुर्घटना की स्थिति में समय से चिकित्सा मिल जाएगी।

१८. शौच के लिए जंगल में या जंगल के किनारे न जाऐं, खासकर सूरज उगने से पहले। ज्यादातर हमले इसी समय होते हैं।

खुले में शौच करते वक्त कई घटनाएं हुई हैं। इसका कारण यह है कि प्राय: शौच करने लोग अकेले जाते हैं या जंगल के पास बैठते हैं, जब भालू वहां आराम कर रहे होते हैं। सरकारी योजना के द्वारा घर में ही शौचालय बना कर उपयोग करना सबसे अच्छा उपाय हैं।

१९. अपने मकान के पीछे कचरा, खासकर महुआ के फूल बिल्कुल न फेंके क्योंकि यह भालू को आकर्षित करते हैं।

फेंके हुए महुआ के फूलों में तेज गंध होती हैं, क्योंकि भालू को भी महुआ पसंद है, वे आपके मकान के पास महुआ के फूल खाने के लिए आ सकते हैं।

२०. अपने मकान के आस-पास सफाई रख कर जंगली जानवरों को दूर रख सकते हैं। साफ रखने से साँप भी दूर रहेंगे।

यदि घरेलू कचड़ा (जैसे महुआ के फूल, सब्जी) फेकना हो तो एक गड्ढा खोद कर उसमें गाड़ दें। इस प्रकार उसमें से गंध नहीं आयेगी और भालू मकान के पास नहीं आएंगे।

२१. यदि आपको भालू के द्वारा किसी के घायल होने की जानकारी मिले, तो शीघ्र ही घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाएं एवं वन विभाग को खबर करें।

घायल होने पर शीघ्र चिकित्सा मिलना जरुरी है। गाँव में जिनके पास वाहन या मोटर है, उनका फोन नम्बर रखें। अपने पास के वन विभाग का भी फोन नम्बर रखें, खास कर वन रक्षक एवं रेंजर साहब का।

म. प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम. २०१०

के तहत पीड़ित मुआवजे के लिए आवेदन कर सकता है -

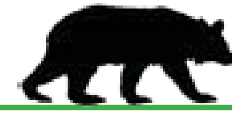

वन्यजीव द्वारा मृत होने पर सहायता	वन्यजीव द्वारा घायल होने पर सहायता	मवेशी के नुकसान हेतू सहायता	वन्यजीव द्वारा फसल हेतू नुकसान सहायता
वन विभाग नामित अधिकारी **रेज अधिकारी**	वन विभाग नामित अधिकारी **रेज अधिकारी**	वन विभाग नामित अधिकारी **रेज अधिकारी**	राजस्व विभाग नामित अधिकारी **तहसीलदार, नायब तहसीलदार**

आवेदन करने की तिथि से सेवा प्रदान करने की समय सीमा

(इस समय मे आप के आवेदन पर विचार होता है.)

३ दिन	७ दिन	३० दिन	३० दिन
अपीलकर्ता अधिकारी **वन मण्डलाधिकारी/डिप्टी डायरेक्टर / असिस्टंट डायरेक्टर/सी. सी. एफ**	अपीलकर्ता अधिकारी **वन मण्डलाधिकारी/डिप्टी डायरेक्टर / असिस्टंट डायरेक्टर/सी. सी. एफ**	अपीलकर्ता अधिकारी **वन मण्डलाधिकारी/डिप्टी डायरेक्टर / असिस्टंट डायरेक्टर/सी. सी. एफ**	अपीलकर्ता अधिकारी **एस. डी. ओ. (राजस्व) / जिला कलेक्टर**

सन २०१६ में मनुष्य की मृत्यु की स्थिति में देय राहत राशी १५०००० रुपये से बढाकर ४००००० तक दिया गया हैं एवं घायल होने की स्थिती में ३०००० रुपये

अधिक जानकारी हेतू रेंज अधिकारी से संपर्क करें

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

बी. पी. एल. परिवारों को एल. पी. जी. (गैस) कनेक्शन प्रदान करती हैं।

- परिवार की महिला के नाम पर दर्ज
- पंचायत प्रधान द्वारा बी. पी. एल. प्रमाणपत्र, बी. पी. एल. राशन कार्ड, आधार या मतदाता कार्ड एवं फोटो.
- नजदीकी एल. पी. जी. केंद्र पर के वाय सी आंवदन जमा करना हैं।
- सरकार पहले एल. पी. जी. कनेक्शन पर आर्थिक मदद देती है।
- चूल्हे एव फिर से गैस भरने के लिए आसन मासिक किस्त

एल. पी. जी. (गैस) स्वास्थ्य के लिए अच्छी है और जंगल पर निर्भरता कम करती हैं। यह भालू से सामना होने की सम्भावना को भी कम करता है।

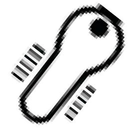

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

गॉवो में व्यक्तिगत शौचालय मुहैया करता है।

- एक फोटो, बैंक खाता की जानकारी, बैंक पासबुक के प्रथम पन्ने का कॉपी एवं आधार कार्ड
- एक शौचालय बनाने में सरकार की मदद
- निर्माण सामग्री सरकार द्वारा देय
- लाभार्थी द्वारा निर्माण हेतू श्रमदान
- शौचालय में स्नानघर हेतू अतिरिक्त खर्चे हेतू परिक्रामी निधी द्वारा आर्थिक मदद

ज्यादा जानकारी हेतू ग्राम पंचायत को संपर्क करें

इसका उद्देश्य खुले मे शौच को कम करना एवं सफाई को बढ़ावा देना हैं। यह भालू के साथ सामना होने की सम्भावना को भी कम करता है।

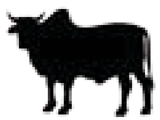

अपने पालतू पशु शाम से पहले घर आ जाएँ तो की उन्हें लाने के लिए आपको अंधेरे में जंगल न जाना पड़ें

यह भी याद रखें...

भालू का हमला दुर्लभ है, फिर भी जंगल से गुजरते वक्त सतर्क रहें।

यदि आपके गांव के आस पास या जंगल में आप भालू देखे तो वन विभाग को अवश्य सूचित करें ताकि उन्हे भालू के वहाँ होने की जानकारी रहे

आत्म विश्वास बानाए रखें
अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें
एवं जरुरत पडनेपर
दुसरों की मदद करें।

श्री दिलीप खटाऊ द्वारा १९९४ में स्थापित कॉर्बेट फाउण्डेशन (टी सी एफ) वन्यजीव एवं प्रकृती संपदा के संरक्षण मानव वन्य जीव संघर्ष के समाधान एवं स्थानीय समाज की इनमें भागीरदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं। समाज के आर्थिक एवं प्राक्रतिक मुद्दों पर टी सी एफ बहुआयामी प्रयास में विश्वास रखता हैं। भारत के ४०० से ज्यादा गाँवों में, टी सी एफ लगभग ५००० ग्रामीणों एवं २००००० मवेशियों से जुडा हुआ हैं ये गाँव भारत के प्रमुख वन्यजीव क्षेत्रों में हैं जैसे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व (उत्तराखंड), कान्हा, पेंच, बाँधवगढ (मध्य प्रदेश), कांजीरंगा टाईगिर रिजर्व (आसाम) एवं कच्छ (गुजरात)। इन क्षेत्रों के अलावा अती संवेदनशिल परिदृश्य एवं भू-भाग कान्हा पेंच कॉरिडोर (गालियार) एवं बाँधवगढ - संजय डुबरी कॉरिडोर (दोनो ही मध्य प्रदेश में) में टी सी एफ संरक्षण के कार्य पर विषेश बल देता हैं। टी सी एफ का कार्य मुख्यत: आयोमों मे हैं, जैसे संरक्षण हेतू परिस्थितिक अनुसंधान मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य वैकल्पिक आजीविका जागरुकता एवं सतत ग्रामिन विकास। ये कार्य भारत के संवेदनशील वन क्षेत्रों मे टी सी एफ द्वारा किये जा रहें हैं ताकी मनुष्य एवं वन्यजीव परस्पर सामंजस्य से एक साथ रह सकें।

द कॉर्बेट फाउण्डेशन एक धर्मांध न्यास हैं और विदेशी योगदान (विनिमय) अधिनियम १६७६ के तहत पंजाकृत हैं। द कॉर्बेट फाउण्डेशन को प्राप्त चंदा आयके अधिनियम १६६१ के तहत कर में छुट के लिए योग्य हैं।

स्वैच्छिक के सुशासन के बांधित मुद्दे पर द कॉर्बोट फाउइडेशन विश्वसनीयता
गठबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

info@corbettfoundation.org | www.corbettfoundation.org

प्रशासनिक कार्यालय
८१/८८, अटलांटा भवन, ८ वी मंजिल,
२०९, नरिमन प्वाइंट
मुम्बई ४०००२१
महाराष्ट्र, भारत
फोन - +९१ २२६१४६६४००

www.corbettfoundation.org
info@corbettfoundation.org

कॉर्बेट
(पंजिकृत कार्यालय)
ग्राम पो - ढीकुली,
रामनगर, नैनीताल,
उत्तराखंड २४४७१५
फोन - +९१५९४७२८४१५६

बांधवगढ
ग्राम - बिझरीया
पो - बांधवगढ (ताला)
उमरिया
मध्यप्रदेश ४८४६६४
फोन - +९१७६२७२६५३४५

कान्हा
ग्राम - बहेराखार
पो - निकुम
बिरसा, जि. बालघाट
मध्यप्रदेश ४८१११६
फोन - +९१७६३६२९०३००

काजिरंगा
ग्राम - बसागाँव
पो - काजिरंगा
जि. - गोलाघाट
आसाम ७८५६०९
फोन - +९१३७७६२६२०८०

कच्छ
कच्छ इकोलोजिकल रिसर्च सेंटर,
खटाउ मकनजी बंगला
पो - तेरा, कच्छ
गुजरात ३७०६६०
फोन - +९१२८३१२८९३०५